

27.11.19

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित ।
मूल निगरानी प्रार्थना पत्र निर्मित हो
चुका है । लिहाजा यह प्रार्थना पत्र चलने
योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है ।
पत्रावली फ़ैसल शमार होकर नम्बर से
कम हो व वायिल दफ़तर है ।

A

ज़िला कलक्टर
बाडमेर

